[2020] 9 एस.सी.आर. 442

अनिल भारद्वाज

बनाम

मध्य प्रदेश का माननीय उच्च न्यायालय और अन्य

(सिविल अपील संख्या 3419/2020)

13 अक्टूबर, 2020

[अशोक भूषण और एम. आर. शाह, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून - न्यायिक सेवा - अपीलकर्ता को जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद के लिए चुना गया था - अपने ऑनलाइन आवेदन में, अपीलकर्ता ने उल्लेख किया था कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 498/406/34 के तहत उनके खिलाफ लंबित था - 14.09.2018 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें अपीलकर्ता को अयोग्य घोषित कर दिया गया और उसका नाम उक्त पद के लिए चयन सूची से हटा दिया गया - दिनांक 14.09.2018 के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी - सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह खुलासा किया गया था कि प्रशासनिक समिति (उच्च न्यायिक सेवा) और परीक्षा सह चुनाव और नियुक्ति समिति की दिनांक 18.07.2018 की संयुक्त बैठक में अपीलार्थी को नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था - इस बीच, दिनांक 18.09.2019 के फैसले के तहत अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी कर दिया गया - अपीलकर्ता ने अपनी पिछली रिट याचिका वापस ले ली और बाद की घटनाओं, तथ्यों और बरी के आदेश को शामिल करते हुए एक नई रिट याचिका दायर की - उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया - उच्चतम न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसके बाद में बरी होने पर उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए था और उच्च न्यायालय ने नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता पर विचार न करके एक त्रुटि की है - यह आगे तर्क दिया गया कि जारी दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6(viii) के अनुसार राज्य द्वारा 'चरित्र सत्यापन के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में' विषय पर, उम्मीदवार सरकारी सेवा के लिए पात्र होंगे क्योंकि अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया है - अभिनिर्धारित : इसमें कोई विवाद नहीं है कि जिस दिन समिति ने अपीलकर्ता को अनुपयुक्त घोषित किया, उस दिन उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और 406 के तहत मामला लंबित था, जो अपीलकर्ता की पत्नी द्वारा दायर शिकायत पर दर्ज किया गया था - केवल चयन सूची में शामिल होने से उम्मीदवार को अपरिहार्य अधिकार नहीं मिल जाता है - नियोक्ता को चयन सूची या किसी वैध आधार में शामिल उम्मीदवार को नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार है - जो व्यक्ति राज्य की न्यायिक सेवा में हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे बेदाग चरित्र और आचरण की अपेक्षा की जाती है - समिति का निर्णय समिति के अधिकार क्षेत्र और शक्ति के भीतर था और इसे टिकाऊ नहीं कहा जा सकता - कोई दुर्बलता नहीं थी समिति द्वारा लिए गए निर्णय में - उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की - तथ्य यह है कि बाद में अपीलकर्ता को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था, पद पर नियुक्ति के लिए

अपीलकर्ता पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया - जहां तक दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6(viii) का संबंध है, यह अपीलार्थी के बचाव में नहीं आ सकता है क्योंकि चरित्र सत्यापन के समय अपीलार्थी को बरी नहीं किया गया था और उसे उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के एक वर्ष से अधिक समय के बाद बरी कर दिया गया था - इस प्रकार, अपीलार्थी रिट याचिका में किसी भी राहत का हकदार नहीं था।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा

अभिनिर्धारित : 1. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को अनुपयुक्त ठहराने के लिए परीक्षा-सह-अनुभाग और नियुक्ति समिति का निर्णय प्रासंगिक विचार पर आधारित था, यानी, धारा 498 क /406/34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला विचाराधीन था जो कि था अपीलकर्ता की पत्नी द्वारा दायर शिकायत पर दर्ज किया गया था। समिति का ऐसा निर्णय समिति के क्षेत्राधिकार और शक्ति के भीतर था और इसे अस्थिर नहीं कहा जा सकता है। केवल यह तथ्य कि एक साल से अधिक समय के बाद जब उस व्यक्ति को, जिसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है, बरी कर दिया गया है, समय को पीछे करने का आधार नहीं हो सकता है। [अनुच्छेद 23]

2. समिति के दिनांक 18.07.2018 के निर्णय में अपीलार्थी को पद के लिए अनुपयुक्त घोषित करने और राज्य द्वारा अपीलार्थी का नाम हटाने के लिए किए गए परिणामी निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं होने के कारण, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की। यह तथ्य कि बाद में अपीलार्थी को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था, पद पर नियुक्ति के लिए अपीलार्थी पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं करता था। [अनुच्छेद 24]

3. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चरित्र सत्यापन के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में दिनांक 05.06.2003 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अनुच्छेद 6 का खंड (viii), जिस पर निर्भरता रखी गई है, यह विचार करता है कि वह उम्मीदवार जिसे न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर बरी कर दिया गया है, सरकारी सेवा के लिए पात्र होगा। उपरोक्त चिंतन चरित्र सत्यापन के समय से संबंधित है। इस प्रकार, चरित्र सत्यापन के समय, यदि किसी उम्मीदवार को न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर बरी पाया जाता है, तो उम्मीदवार को सरकारी सेवा के लिए पात्र माना जाएगा। उपरोक्त चिंतन चरित्र सत्यापन के समय से संबंधित है। इस प्रकार, चरित्र सत्यापन के समय, यदि किसी उम्मीदवार को न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर बरी पाया जाता है, तो उम्मीदवार को सरकारी सेवा के लिए पात्र माना जाएगा। खंड (viii) अपीलार्थी के बचाव में नहीं आ सकता है, जिसे चरित्र सत्यापन के समय या समिति द्वारा 18.07.2018 को अपीलार्थी के मामले पर विचार के समय दोषमुक्त नहीं किया गया था। यदि स्तंभ 12 में अपीलार्थी ने दोषमुक्त किए जाने के बारे में उल्लेख किया होता या चरित्र सत्यापन के समय यह पाया जाता कि अभ्यर्थी को न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर दोषमुक्त किया गया है, तो खंड 6 (viii) आकर्षित किया जाता, लेकिन वर्तमान मामले में उक्त खंड आकर्षित नहीं किया गया है क्योंकि चरित्र सत्यापन के समय अपीलार्थी को दोषमुक्त नहीं किया गया था और उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के एक वर्ष से अधिक समय के बाद उसे दोषमुक्त कर दिया गया था। [अनुच्छेद 26 और 27]

पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और एक अन्य बनाम मेहर सिंह, **(2013) 7 एससीसी 685: [2013] 13 एससीआर 432;** अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य **(2016) 8 एससीसी 471: [2016] 7 एससीआर 445;** केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम प्रदीप कुमार और अन्य **(2018) 1 एससीसी 797: [2018] 1 एससीआर 112 - पर भरोसा किया।**

जोगिंदर सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य **(2015) 2 एससीसी 377: [2014] 11 एससीआर 155 - विशिष्ट।**

मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **एआईआर 2018 एससी 4895;** मलिक मजहर सुल्तान (3) और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य **(2008) 17 एससीसी 703 – संदर्भित।**

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

एआईआर 2018 एससी 4895 अनुच्छेद 8	**संदर्भित**
(2008) 17 एस.सी.सी. 703 अनुच्छेद 12	**संदर्भित**
[2013] 13 एस.सी.आर. 432 अनुच्छेद 13	**पर निर्भर**
[2014] 11 एस.सी.आर. 155 अनुच्छेद 15	**प्रतिष्ठित**
[2016] 7 एस.सी.आर. 445 ` अनुच्छेद 17	**पर निर्भर**
[2018] 1 एस.सी.आर. 112 अनुच्छेद 18	**पर निर्भर**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 2020 का 3419।

2019 के रिट याचिका-27779/2019 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 06.01.2020 के निर्णय और आदेश से।

आर. वेंकटरमानी, सीनियर अधिवक्ता, दानिश जुबैर खान, उपस्थित दलों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था।

अशोक भूषण, न्यायमूर्ति।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 06.01.2020 के खण्ड पीठ के फैसले पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है। रिट याचिका में अपीलार्थी ने दिनांक 14.09.2018, 18.07.2018 और 21.09.2019 के आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं ठहराया गया है (प्रवेश स्तर) ।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.03.2017 को एक विज्ञापन जारी कर योग्य अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा उच्च न्यायिक सेवा के संवर्ग में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विज्ञापन के अनुसरण में, अपीलार्थी ने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। मुख्य परीक्षा में सफल घोषित होने के बाद अपीलार्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। अनंतिम चयन और प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें अपीलार्थी का नाम अनारक्षित की श्रेणी में क्रम संख्या. 13 में शामिल किया गया था। अपीलार्थी को 06.04.2018 को विधि और विधायी विभाग से सूचना मिली कि उसे जिला न्यायाधीश के पद के लिए चुना गया है (प्रवेश स्तर)। उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। 02.07.2018 को अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि उसके सत्यापन प्रपत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 498/406/34 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 852/2014 दिखाई गई है और उसी की प्रति मांगी गई थी। 14.09.2018 को प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश, विधि और विधायी विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमें अपीलार्थी को अयोग्य घोषित किया गया था और चयन सूची से अपीलार्थी का नाम हटाने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने मुख्य चयन सूची की मेरिट संख्या 13 से अपीलार्थी का नाम हटाने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना भी जारी की।

4. अपीलार्थी ने दिनांक 14.09.2018 के आदेश और दिनांक 21.09.2018 की राजपत्र अधिसूचना को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की रिट याचिका संख्या. 27434 दायर की। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पर, अपीलार्थी को प्रशासनिक समिति (उच्च न्यायिक सेवा) और परीक्षा-सह-चुनाव और नियुक्ति समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 18.07.2018 के कार्यवृत्त का उद्धरण प्रदान किया गया था, जिसके द्वारा अपीलार्थी को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था (प्रवेश स्तर)। अपीलार्थी की पत्नी की शिकायत के आधार पर, एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और दिनांक 18.09.2019 के फैसले के माध्यम से अपीलार्थी को उसके खिलाफ बनाए गए आरोप से बरी कर दिया गया था।

5. अपीलार्थी ने रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान हुए दोषमुक्ति और अन्य घटनाओं के आदेश को अभिलेख पर लाने के लिए रिट याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया। अपीलार्थी को एक नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ अपनी पिछली रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी गई थी।

27779/2019 की रिट याचिका अपीलार्थी द्वारा बाद की घटनाओं, तथ्यों और बरी करने के आदेश को शामिल करते हुए दायर की गई थी, जिसे रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2020 के विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है। आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी इस अपील में आया है।

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. वेंकटरमानी को सुना है।

7. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क/406/34 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 852/2014 दर्ज करने के बारे में खुलासा किया है। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी ने अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का खुलासा करने के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष कोई तथ्य नहीं छिपाया है और वह योग्यता के आधार पर चुना गया होने के कारण नियुक्त होने का हकदार था। श्री वेंकटरमानी प्रस्तुत करते हैं कि 18.09.2019 को अपीलार्थी के बाद के बरी होने पर नियुक्ति के लिए उनके मामले पर उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार किया जाना था और उच्च न्यायालय ने नियुक्ति के लिए अपीलार्थी पर विचार नहीं करने में त्रुटि की थी। अपीलार्थी की उम्मीदवारी को केवल आपराधिक मामले के लंबित होने के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थी को बरी किए जाने के बाद नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता था। अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं थी कि अपीलार्थी का पूर्ववृत्त या आचरण सही नहीं था। उच्च न्यायालय को मामले को उच्च न्यायिक सेवा और परीक्षा-सह-चयन समिति के समक्ष पुनर्विचार के लिए वापस भेजना चाहिए था।

8. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के उन निर्णयों का उल्लेख किया है जिन पर उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में भरोसा किया है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने **12.10.2018 को निर्णय किए गए मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2018 का सिविल अपील संख्या 10571)** में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है। वह प्रस्तुत करता है कि **मोहम्मद इमरान** का फैसला भी एक न्यायिक अधिकारी का मामला था जिसे इस अदालत द्वारा नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

10. वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलार्थी का नाम उसके खिलाफ आपराधिक मामले को छिपाने के आधार पर चयन सूची से हटा दिया गया हो। अपीलार्थी ने दिनांक 18.07.2018 की परीक्षा-सह-निर्वाचन समिति की कार्यवाही को अभिलेख पर लाया है। कार्यसूची की मद संख्या. 2 में समिति ने निम्नलिखित निर्णय अभिलिखित कियाः

> **"मद संख्या 02** मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवाएँ (डिस्ट्रिक्टजज-एंट्री लेवल) (बार से सीधे) परीक्षा-2016 के चयनित 13 उम्मीदवारों की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट से संबंधित मामले पर विचार करें।
>
> **1. श्री अनिल भारद्वाजः-**

श्री अनिल भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत सत्यापन प्रपत्र और पुलिस उपायुक्त, विशेष शाखा, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत पुलिस सत्यापन रिपोर्ट से पता चलता है कि श्री अनिल भारद्वाज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क/406/34 के तहत श्री अनिल भारद्वाज की पत्नी पूजा श्रीमती की शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 852/2014 दर्ज की गई है।

उचित विचार के बाद यह समाधान किया गया कि श्री अनिल भारद्वाज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क, 406-34 के तहत मामला अभी भी रोहिणी कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष लंबित है। इसलिए, उन्हें जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त होने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है।

10. अपीलार्थी के खिलाफ उसकी पत्नी ने वर्ष 2014 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क और 406 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसके आधार पर अदालत में 15.07.2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क और 406 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अपीलार्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का खुलासा किया है। अपीलार्थी का नाम चयन सूची में शामिल किया गया था जिसे राज्य को भेज दिया गया था। चरित्र सत्यापन के बाद राज्य ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस रिपोर्ट पर प्रशासनिक समिति (उच्च न्यायिक सेवा) और परीक्षा-सह-चुनाव और नियुक्ति समिति द्वारा 18.07.2018 को विचार किया गया था और एक प्रस्ताव लिया गया था कि पत्नी श्रीमती द्वारा दायर शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क, 406-34 के तहत मामला लंबित होने के कारण। अपीलार्थी पूजा को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है।

11. उच्च न्यायालय के समक्ष, समिति के दिनांक 18.07.2018 के निर्णय के साथ-साथ अपीलार्थी का नाम हटाने के लिए राज्य के दिनांक 14.09.2018 के आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई थी। विचार किए जाने वाला मुख्य मुद्दा यह था कि क्या दिनांक 18.07.2018 का संकल्प त्रुटि से ग्रस्त था, जिसके लिए अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा जो निवेदन किया गया है वह यह है कि 18.09.2019 को उसके बाद के बरी होने के मद्देनजर अपीलार्थी के मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी।

12. न्यायिक सेवा में भर्ती मध्य प्रदेश उच्चतर न्याय सेवा (भारती तथा सेवा शरतेन) नियम, 1994 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस न्यायालय ने सभी राज्यों को अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को एक समय सारिणी में भरने का निर्देश जारी किया। यह निर्देश इस न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्तान (3) और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य, 2008 (17) एस. सी. सी. 703 में जारी किया गया था। यह निर्देश इस न्यायालय द्वारा **मलिक मजहर सुल्तान (3) और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य, 2008 (17) एस. सी. सी. 703** में जारी किया गया था। जिला न्यायाधीश के पद को भरने के लिए चयन प्रक्रिया को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सभी उच्च न्यायालयों द्वारा पूरा किया जाना है। योग्यता सूची की घोषणा के बाद उम्मीदवारों को समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वे संबंधित पदों में शामिल हो सकें। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जिस तारीख को समिति ने अपीलार्थी को अनुपयुक्त घोषित किया था, उस तारीख को उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 498 क और

406 के तहत आपराधिक मामला लंबित था, जो अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती पूजा द्वारा दायर शिकायत पर दर्ज किया गया था। चयन सूची में केवल शामिल करने से किसी उम्मीदवार को अक्षम्य अधिकार नहीं मिलता है। नियोक्ता को किसी भी वैध आधार पर चयन सूची में शामिल उम्मीदवार को नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार है। राज्य की न्यायिक सेवा में रहने वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे त्रुटिहीन चरित्र और आचरण की अपेक्षा की जाती है। यह विवादित नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 406 के तहत आपराधिक मामला उस समय लंबित था जब अपीलार्थी ने भर्ती के लिए आवेदन किया था, जब वह साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ था और जब परिणाम घोषित किया गया था। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट उस राज्य से प्राप्त की गई थी जहां आपराधिक मामले की लंबितता का उल्लेख किया गया था जो समिति द्वारा अपीलार्थी को अनुपयुक्त घोषित करने का कारण था। जिस निवेदन पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी को बाद में बरी किए जाने के मद्देनजर, उसके मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी और वह नियुक्त होने का हकदार था।

13. इस न्यायालय ने **पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और एक अन्य बनाम मेहर सिंह, (2013) 7 एस. सी. सी. 685** में दिल्ली पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिए पूर्ववर्ती सत्यापन के मामले पर विचार करते हुए अनुच्छेद 35 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "35. पुलिस बल एक अनुशासित बल है। समाज में कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। लोग इसमें बहुत विश्वास और विश्वास रखते हैं। यह उस विश्वास के योग्य होना चाहिए। पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार को अत्यंत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। उसके पास त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में फिट नहीं होगा। भले ही उसे आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया हो या आरोपमुक्त कर दिया गया हो, उस दोषमुक्ति या आरोपमुक्त करने के आदेश की जांच यह देखने के लिए करनी होगी कि क्या उसे मामले में पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है क्योंकि उसके अपराध में शामिल होने की संभावना भी पुलिस बल के अनुशासन के लिए खतरा पैदा करती है। ... ... "

14. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार को त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिए। उपरोक्त टिप्पणियां न्यायिक सेवा पर अधिक बल के साथ लागू होती हैं। इस न्यायालय ने आगे कहा कि बरी होने के मामले में भी इस बात की जांच की जानी चाहिए कि व्यक्ति को मामले में पूरी तरह से बरी किया गया था या नहीं। वर्तमान मामले में भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बरी होने के कारण, चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के समय उच्च न्यायालय द्वारा बरी करने के आदेश की जांच करने का कोई सवाल ही नहीं था।

15. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने **जोगिन्दर सिंह बनाम केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य (2015) 2 एस. सी. सी. 377** में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है, जो एक ऐसा मामला था कि क्या अपीलार्थी को निचली अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/323/325/307 के अधीन मामले में दोषमुक्त किया गया था। उपरोक्त मामले में अपीलार्थी को साक्षात्कार/चिकित्सकीय जांच के लिए

बुलाए जाने से पहले ही बरी कर दिया गया था। यह तथ्य निर्णय के अनुच्छेद 24 में निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किया गया थाः

> "**24.** हालाँकि, वर्तमान मामले में, हमने देखा है कि अपीलकर्ता एक पारिवारिक झगड़े में शामिल था और कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करने के बाद 14-04-1998 को उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके अलावा, उन्हें 04-10-1999 को बरी कर दिया गया था। साक्षात्कार/चिकित्सा परीक्षा/लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने से बहुत पहले... ... ... "

16. उपरोक्त मामला स्पष्ट रूप से अलग है और अपीलकर्ता को मदद नहीं करता है।

17. **अवतार सिंह बनाम यूनियनऑफ इंडिया और अन्य, (2016) 8 एससीसी 471** में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को चयन के बाद सत्यापन फॉर्म के विभिन्न पहलुओं की जांच करने का अवसर मिला, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि होने और आपराधिक मामले के लंबित होने का प्रश्न भी शामिल था। इस न्यायालय ने कहा कि यदि आपराधिक मामला लंबित है और पदधारी को बरी नहीं किया गया है तो नियोक्ता को ऐसे पदधारी को नियुक्त न करना उचित हो सकता है। अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

> **"32.** इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि एक बार सत्यापन प्रपत्र के लिए कुछ जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, घोषणाकर्ता इसे सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और भौतिक तथ्यों का कोई भी दमन या गलत जानकारी प्रस्तुत करना, अपने आप में उसकी सेवाओं को समाप्त करने या किसी उपयुक्त मामले में उम्मीदवारी को रद्द करने का कारण बन सकता है। हालांकि, एक आपराधिक मामले में पदधारी को बरी नहीं किया गया है और मामला विचाराधीन है, नियोक्ता को ऐसे पदधारी को नियुक्त नहीं करने या सेवाओं को समाप्त करने में उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि दोषसिद्धि अंततः उसे नौकरी के लिए अनुपयुक्त बना सकती है और नियोक्ता को आपराधिक मामले के परिणाम तक इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसे मामले में गैर-प्रकटीकरण या झूठी जानकारी प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होगा और यह अपने आप में नियोक्ता के लिए उम्मीदवारी को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने का आधार हो सकता है।

18. यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां उम्मीदवारों को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया है, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उम्मीदवार की उपयुक्तता के संबंध में दुर्भावना से प्रेरित नहीं होने के कारण जांच समिति के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। **केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम प्रदीप कुमार और एक अन्य, (2018) 1 एस. सी. सी. 797** में इस न्यायालय ने अनुच्छेद 13 और 17 में निम्नलिखित निर्धारित कियाः

> "**13**. इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आपराधिक मामले में बरी होने से वह स्वतः ही पद पर नियुक्ति का हकदार नहीं होता है। फिर भी नियोक्ता के लिए यह खुला है कि वह पूर्ववृत्तियों पर विचार करे और जांच करे कि क्या वह पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। *मेहर सिंह, 2013 (7) एस. सी. सी. 685 और परवेज खान, 2015 (2) एस. सी. सी. 591* मामलों में इस न्यायालय की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि पुलिस सेवा में भर्ती होने वाला उम्मीदवार त्रुटिहीन चरित्र

और सत्यनिष्ठा का होना चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में फिट नहीं होगा। भले ही वह बरी हो जाए या बरी हो जाए, यह नहीं माना जा सकता है कि उसे सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था/पूरी तरह से बरी कर दिया गया था। जाँच समिति का निर्णय अंतिम रूप में लिया जाना चाहिए जब तक कि इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं दिखाया जाता है। जाँच समिति को उसमें व्यक्त विश्वास के महत्व के प्रति भी सचेत रहना चाहिए और उम्मीदवार की पूर्ण चरित्र के साथ जाँच करनी चाहिए।

17. निर्णयों की श्रृंखला में, पुलिस बल में ईमानदारी और आचरण के उच्च मानक के महत्व पर जोर दिया गया है। जैसा कि मेहर सिंह मामले[5] में अभिनिर्धारित किया गया है, स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम माना जाना चाहिए जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण न हो। मौजूदा मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है। स्क्रीनिंग कमेटी का यह निर्णय कि उत्तरदाता कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हमारे विचार में, अधिकरण और उच्च न्यायालय ने स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले को अपास्त करने में गलती की है और विवादित फैसला अपास्त किया जा सकता है।''

19. अब, हम **मोहम्मद इमरान (पूर्वोक्त)** के फैसले पर ध्यान दे सकते हैं, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया है। उपरोक्त मामले में अपीलार्थी का चयन न्यायिक सेवा के लिए किया गया था जिसका चयन पुलिस की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के कारण 04.06.2010 को रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। इस अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को 28.10.2004 को धारा 363, 366, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप से बरी कर दिया गया था, जो कि वर्ष 2009 में नियुक्ति के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने से बहुत पहले था। अपीलकर्ता ने सत्र न्यायालय द्वारा अपने अभियोजन और बरी किए जाने का खुलासा किया। इस न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 9 में उपरोक्त तथ्य को निम्नलिखित शब्दों में देखा:

"9. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि श्री सुधीर गुलाबराव बर्डे, जिन्हें 24.11.2009 को धारा 294, 504, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत केस नंबर 3022/2007 में बरी कर दिया गया था, को नियुक्त किया गया है... "

20. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि आपराधिक मामले को छोड़कर, जिसमें वह पहले ही बरी हो चुका था, अपीलकर्ता का रिकॉर्ड साफ है और उसके खिलाफ उसके शैक्षणिक श्रम के फल से इनकार करने के लिए कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं है। इस न्यायालय ने अनुच्छेद 11 में निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए अपीलकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के निर्णय को अस्थिर पाया:

"11. मामले के सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर विचार और उसकी अस्वीकृति एक अदूरदर्शी दृष्टि से पीड़ित है, जो नैतिक अधमता के रूप में वर्णित किए गए दृश्य से धुंधला है, जो अपर्याप्त प्रशंसा और तथ्यों के अनुप्रयोग को भी दर्शाता है, जैसा कि न्याय की मांग हो सकती है।

21. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यदि यह पाया जाता है कि जिस निर्णय द्वारा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अस्वीकार किया जाता है, वह मनमाना है या दुर्भावना से प्रेरित है तो इस तरह के निर्णय में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। हम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम प्रदीप कुमार और एक अन्य (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर पहले ही ध्यान दे चुके हैं कि जांच समिति का निर्णय अंतिम होना चाहिए जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण न हो।

22. उपरोक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्भावनापूर्ण आधार के अलावा जांच समिति/चयन समिति के निर्णय को बनाए न रखने के अन्य वैध कारण भी हो सकते हैं। चयन समिति द्वारा लिया गया कोई भी मनमाना निर्णय न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार के प्रयोग में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा बहुत अच्छी तरह से हस्तक्षेप किया जा सकता है।

23. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, अपीलार्थी को अनुपयुक्त रखने के लिए परीक्षा-सह-धारा और नियुक्ति समिति का निर्णय प्रासंगिक विचार पर आधारित था, अर्थात अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क/406/34 के तहत एक आपराधिक मामला विचाराधीन था जो अपीलार्थी की पत्नी द्वारा दायर शिकायत पर दर्ज किया गया था। समिति का ऐसा निर्णय समिति के अधिकार क्षेत्र और शक्ति के भीतर था और इसे अस्थिर नहीं कहा जा सकता है। केवल यह तथ्य कि एक साल से अधिक समय के बाद जब उस व्यक्ति को, जिसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है, बरी कर दिया गया है, समय को पीछे करने का आधार नहीं हो सकता है।

24. समिति के दिनांक 18.07.2018 के निर्णय में अपीलार्थी को पद के लिए अनुपयुक्त घोषित करने और राज्य द्वारा अपीलार्थी का नाम हटाने के लिए किए गए परिणामी निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं होने के कारण, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की। यह तथ्य कि बाद में अपीलार्थी को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था, पद पर नियुक्ति के लिए अपीलार्थी पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं करता था।

25. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए एक और निवेदन पर भी विचार करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि आईपीसी की धारा 498 क, 406 के तहत आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर याचिकाकर्ता को अनुपयुक्त घोषित करने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चरित्र सत्यापन के लिए दिनांक 05.06.2003 को जारी दिशानिर्देशों के विपरीत था। उनका कहना है कि न्यायालय द्वारा मामले की योग्यता के आधार पर बरी किए जाने के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6(viii) के अनुसार, उम्मीदवार सरकारी सेवा के लिए पात्र होगा। उनका कहना है कि अपीलकर्ता को अनुपयुक्त घोषित करने में सरकारी आदेश के उपरोक्त खंड का उल्लंघन किया गया है।

26. मध्य प्रदेश शासन द्वारा ''चरित्र सत्यापन हेतु नये दिशा-निर्देश जारी करने के संबंध में'' विषय पर दिनांक 05.06.2003 को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अनुच्छेद 6 जिस पर अपीलकर्ता के वकील ने भरोसा किया है वह सत्यापन फॉर्म के कॉलम 12 के संबंध में है। अनुच्छेद 6 और खंड (viii) को निकालना उपयोगी है जो इस प्रकार हैं: -

"6. सरकारी सेवा, आपराधिक पृष्ठभूमि, न्यायिक मामले के लिए चयनित उम्मीदवारों द्वारा चरित्र सत्यापन के लिए भरे गए प्रमाणन फॉर्म के कॉलम 12 और इसमें जानबूझकर या गलत तरीके से या अनजाने में सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए योग्यता के अधीन खाली रखे गए दोषमुक्त या दोषसिद्धि के बारे में जानकारी राज्य सरकार द्वारा नियमों के अनुसार नीति को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से निर्णय लिए गए हैं।

(i).....

....

(viii) माननीय न्यायालय द्वारा मामले की योग्यता के आधार पर बरी होने पर, उम्मीदवार सरकारी सेवा के लिए पात्र होगा।

27. खंड (viii), जिस पर निर्भरता रखी गई है, यह विचार करता है कि वह उम्मीदवार जिसे न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर बरी कर दिया गया है, सरकारी सेवा के लिए पात्र होगा। उपरोक्त चिंतन चरित्र सत्यापन के समय से संबंधित है। इस प्रकार, चरित्र सत्यापन के समय, यदि किसी उम्मीदवार को न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर बरी पाया जाता है, तो उम्मीदवार को सरकारी सेवा के लिए पात्र माना जाएगा। उपरोक्त खंड (viii) जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, अपीलार्थी के बचाव में नहीं आ सकता है, जिसे चरित्र सत्यापन के समय या समिति द्वारा 18.07.2018 को अपीलार्थी के मामले पर विचार करने के समय दोषमुक्त नहीं किया गया था। यदि स्तंभ 12 में अपीलार्थी ने दोषमुक्त किए जाने के बारे में उल्लेख किया होता या चरित्र सत्यापन के समय यह पाया जाता कि अभ्यर्थी को न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर दोषमुक्त किया गया है, तो खंड 6 (viii) आकर्षित किया जाता, लेकिन वर्तमान मामले में उक्त खंड आकर्षित नहीं किया गया है क्योंकि चरित्र सत्यापन के समय अपीलार्थी को दोषमुक्त नहीं किया गया था और उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के एक वर्ष से अधिक समय के बाद उसे दोषमुक्त कर दिया गया था।

28. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अंततः तर्क दिया कि चयन सूची से अपीलकर्ता का नाम हटाने के कारण उस पर एक कलंक लगा है, जिसे हटाने के लिए यह न्यायालय इस एसएलपी में नोटिस जारी कर सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दिनांक 18.09.2019 के फैसले से अपीलकर्ता को पहले ही बरी कर दिया गया है, आपराधिक मामले का कलंक पहले ही धुल चुका है और आपराधिक मामले के परिणामस्वरूप बरी होने के कारण उपरोक्त आधार पर अपीलकर्ता के नाम पर कोई कलंक नहीं जुड़ा है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील की यह आशंका कि अपीलकर्ता के नाम पर कलंक बना रहेगा, गलत धारणा है, यदि कोई कलंक है, तो वह पहले ही बरी होने से खत्म हो चुका है।

29. इस प्रकार, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलकर्ता रिट याचिका में किसी भी राहत का हकदार नहीं था। परिणामस्वरूप, इस अपील को खारिज करते हुए हम मानते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498क/406/34 के तहत दर्ज आपराधिक मामले का कलंक, यदि कोई हो, दिनांक 18.09.2019 के फैसले के तहत अपीलकर्ता को बरी करने के कारण धुल गया है।

अंकित ज्ञान याचिका खारिज कर दी गई।

.

दिव्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।